Shortage of weight in LPG Cylinders

*317. SHRI L. GANESAN:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the number of cases in which shortage of weight was detected in cooking gas cylinders supplied by the oil corporations in the country during the last three years, year-wise and Corporation-wise;

(b) whether any action had been taken against the concerned persons;

(c) whether the attention of Government has been drawn to a news item captioned "Another case of LPG short weighing", which appeared in the Hindustan Times, dated 21st January, 1986; and

(d) if so, whether any inquiry has been ordered so far in this regard and whether any action has been initiated against the concerned officials; if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH): (a) and (b) Statistics regarding cases of underweight cylinders are not maintained. Necessary instructions exist to ensure correctness of the weight of LPG filled in cylinders before they are despatched. Complaints of under-weight of cylinders from consumers are enquired into and action is taken, including replacement of cylinder in appropriate cases. If any distributor is found indulging in deliberate supply of underfilled cylinders, action under Marketing Discipline Guidelines is taken which includes termination of the distributorship in extreme cases.

(c) Yes, Sir.

(d) Inquiries made by Indian Oil Corporation and Bharat Petroleum Corporation regarding the instances of under-filled and over-filled cylinders have shown the reasons to be erratic functioning of the filling machines and weighing systems at these botting plants, which have been subjected to heavy and continuous utilisation with a view to meeting the increased winter demand in the area, leaving little time for adequate maintenance. While corrective action relating to the equipments has been taken, no individual responsibilty has been pinpointed.

Consumption of Petrol and Diesel

*318. SHRI K. L. N. PRASAD: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what measures Government have taken so far to conserve the consumption of petrol and diesel in the country;

(b) whether there is any proposal under Government's consideration to allocate funds from the increased realisations from petrol and diesel for strengthening city bus services in four metropolitan cities and other towns in the country in order to curb the growth of consumption of pertol and diesel in these cities; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH): (a) Conservation measures taken include economy in non-plan expenditure, field studies in organised sector of industry and transport, education campaign in the unorganised transport, domestic and agriculture sectors, and development of fuel efficient equipment/devices.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अनुषंगी उद्योग के लिए नीति

*319 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुषंगी उद्योग के लिए कोई नीति तैयार की है यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की नीति बनाने का विचार रखती है जिसके अनुसार भारी उद्योगों को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्रथमत: लघु और मध्यम उद्योगों से ही खरीदनी चाहिए तथा उन वस्तुओं के निर्माण में भी उनकी सहायता करनी चाहिए ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एक विवरण सदन सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

तथापि इस संबंध में सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा पहले से ही मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम को उन सभी वस्तुओं का पता लगाना चाहिए जिनका उत्पादन अनुषंगी/लघु उद्योगों में किया जा सकता है और इन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए जिनमें जहां कहीं संभव हो तकनीकी मार्ग-दर्शन, जिगों, औजारों और फिक्स्चरों की आपूर्ति आयातित और दुर्लभ कच्चे माल में सहायता प्रशिक्षण सुविधाएं आदि शामिल हैं।

विवरण

जहां कहीं सम्भव हो बड़े उद्योगों द्वारा अनुषंगी एकक स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना सरकार की नीति है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) देश में अनुषंगी एकक के विकास की देख भाल करने के लिए विकास आयुक्त लघु उद्योग के कार्यालय में एक अलग अनुषंगी प्रभाग स्थापित किया गया है।

(2) परिभाषा के भाग के रूप में लघु अनुषंगी एककों की पूंजी निवेश सीमा को बढ़ाने में एक विशेष रियायत दी गई है। यह सीमा अनुषंगी एककों के मामले में 45 लाख रु० है जबकि अन्य लघु एककों के मामले में 23 लाख रु० है।

(3) राज्यों के उद्योग निदेशकों के पास 35 लाख रु० से 45 लाख रु० के बीच निवेश वाले अनुषंगी एककों के पंजीकरण के लिए एक अलग पद्धति प्रारम्भ की गई है।

(4) बड़े मझौले और लघु उद्योगों के बीच सम्पर्क के बढ़ाने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत देश में 16 उप-सम्पर्क केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं।

(5) अनुषंगी एककों के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार के उद्यमों को सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा मार्ग-दर्शी-सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(6) हाल ही में सरकार ने तकनीकी विकास महानिदेशालय और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) जैसे तकनीकी प्राधिकरण द्वारा आद्यौगिक लाइसेंस आवेदनों की संवीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया है ताकि अनुषंगीकरण के क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और उनकी सिफारिशों के अनुसार आशय-पत्र में इस आशय की एक शर्त का समावेश किया जा सके कि "अनुषंगीकरण कार्यक्रम के क्षेत्रों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार की संतुष्टी के नुसार कार्रवाई की जाएगी आवेदक द्वारा नुषंगीकरण कार्यक्रम को सरकार की संतुष्टि के अनुसार अन्तिम रूप देने के पश्चात आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जा सकता है।